अजिताभ शर्मा, आई.ए.एस.

अध्यक्ष, विद्युत वितरण कम्पनीज
एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर-302 005

क्रमांक/अध्यक्ष डिस्कॉम्स/टीए/प्रे. 183

जयपुर, 25.09.2020

आदेश

विषय –कृषि उपभोक्ताओं के लिए विलम्ब भुगतान शुल्क माफी योजना।

पूर्व में कोविड महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों को देखते हुए कृषि उपभोक्ताओं के माह मार्च, अप्रेल, मई एवं जून 2020 के विद्युत बिलों का भुगतान 30 जून 2020 तक स्थगित किया गया था। स्थगित भुगतान के बिलों की बकाया राशि को माह जुलाई एवं अगस्त में दो किश्तों में बिना विलम्ब शुल्क के भुगतान की सुविधा प्रदान की गई थी।

कोविड–19 महामारी जनित आर्थिक परिस्थितियों के कारण, ऐसे कृषि उपभोक्ता जो अपने बिल की राशि जमा नहीं करवा पाए है, उन्हें राहत देते हुए कृषि उपभोक्ताओं द्वारा लंबित बिल की मूल राशि 31 अक्टूबर 2020 तक जमा करवाने पर पेनल्टी अथवा विलम्ब शुल्क की छुट प्रदान की जाती है।

यह सुविधा बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी (जिन उपभोक्ताओं का मासिक उपभोग 50 यूनिट तक है) के उपभोक्ताओं के लिए भी 31 अक्टूबर 2020 तक लागू होगी।

उक्त आदेश तीनों वितरण निगमों में लागू होगा।

25.9.20
(अजिताभ शर्मा)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रबंध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर
2. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स

Scanned with CamSca